

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ऊर्जा निधि 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
दिनांक 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के लिए एकल वित्तीय परिणाम का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		(अनकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनकेक्षित)	(अंकेक्षित)
	परिचालनों से राजस्व				
(i)	ब्याज आय	9,263.89	8,875.66	8,749.01	36,145.76
(ii)	लाभांश आय	-	553.54	-	1,204.21
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	61.72	243.09	8.66	394.90
I.	परिचालनों से कुल राजस्व	9,325.61	9,672.29	8,757.67	37,744.87
II.	अन्य आय	0.44	2.13	16.75	21.70
III.	कुल आय (I+II)	9,326.05	9,674.42	8,774.42	37,766.57
	व्यय				
(i)	वित्तीय लागतें				
(ii)	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)	5,739.31	5,803.78	5,676.18	23,194.49
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	367.28	176.89	232.64	(164.06)
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	2.74	5.84	2.98	14.28
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षति	(106.23)	23.52	114.53	518.95
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	450.54	792.98	353.04	3,496.40
(vii)	मूल्यहास, परिशोधन एवं क्षति	48.51	43.81	49.01	194.62
(viii)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	2.80	3.67	1.94	11.17
(ix)	अन्य व्यय	44.83	5.42	205.06	222.61
IV.	कुल व्यय	6,566.51	6,880.60	6,648.07	27,559.26
V.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	2,759.54	2,793.82	2,126.35	10,207.31
VI.	असाधारण मदें	-	-	-	-
VII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)	2,759.54	2,793.82	2,126.35	10,207.31
	कर व्यय:				
	(1) वर्तमान कर:				
	वर्तमान वर्ष	514.72	772.01	437.20	2,613.09
	पूर्ववर्ती वर्ष	-	135.42	43.52	178.94
	(2) आस्थगित कर	(28.77)	(440.22)	(53.93)	(1,028.73)
VIII.	कुल कर व्यय	485.95	467.21	426.79	1,763.30
IX.	जारी परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)	2,273.59	2,326.61	1,699.56	8,444.01
X.	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-
XI.	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचालनों से) (IX+X)	2,273.59	2,326.61	1,699.56	8,444.01
XII.	अन्य व्यापक आय				
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(1.06)	(0.44)	(1.27)	(4.26)
	- इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	116.58	41.76	6.20	137.25
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में				

	पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा - परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.27	0.34	0.26	1.13
	उप कुल (क)	115.79	41.66	5.19	134.12
(ख)	(i) मर्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा - नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	51.60	0.61	(84.52)	(27.64)
	- हैजिंग रिसर्व की लागत	(50.38)	5.33	6.47	(31.06)
	(ii) मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा - नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	(12.99)	(0.15)	21.27	6.96
	- हैजिंग रिसर्व की लागत	12.68	(1.34)	(1.63)	7.82
	उप कुल (ख)	0.91	4.45	(58.41)	(43.92)
	अन्य व्यापक आय (क+ख)	116.70	46.11	(53.22)	90.20
XIII.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)	2,390.29	2,372.72	1,646.34	8,534.21
XIV.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
XV.	अन्य इक्विटी (31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	49,753.04
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर मूल एवं तनुकृत अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए):				
	(1) जारी परिचालनों के लिए (□ में)	8.61	8.81	6.44	31.98
	(2) बंद परिचालनों के लिए (□ में)	-	-	-	-
	(3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (□ में)	8.61	8.81	6.44	31.98

* तिमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं हैं।

एकल वित्तीय परिणाम के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें।

टिप्पणी:

1	<p>कंपनी के अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसके बाद दिनांक 12.08.2021 को आयोजित अपनी संगत बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया और रिकॉर्ड में लिया गया है। उक्त की सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।</p>																
2	<p>अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एस')-34 'अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।</p>																
3	<p>इंड एस 109 के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और उनपर क्षति हानि भत्ता (प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए) का ब्यौरा निम्नानुसार है</p> <p style="text-align: right;">(करोड़ रुपए में)</p> <table border="1" data-bbox="225 645 1469 815"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>30.06.2021 तक</th> <th>31.03.2021 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण</td> <td>21,153.60</td> <td>21,150.16</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता</td> <td>13,756.75</td> <td>13,416.36</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)</td> <td>65.03%</td> <td>63.43%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	30.06.2021 तक	31.03.2021 तक	क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	21,153.60	21,150.16	ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	13,756.75	13,416.36	ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	65.03%	63.43%
क्र.सं.	विवरण	30.06.2021 तक	31.03.2021 तक														
क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	21,153.60	21,150.16														
ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	13,756.75	13,416.36														
ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	65.03%	63.43%														
4	<p>विवेकपूर्ण तौर पर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।</p>																
5	<p>निदेशक मंडल ने दिनांक 12.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 22.5% की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया, अर्थात 10/- रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.25 रुपए।</p>																
6	<p>दिनांक 30.06.2021 तक कंपनी द्वारा जारी किए गए और बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्ड के लिए, निर्दिष्ट अचल संपत्तियों और/या कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार पर मोर्टगेज के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।</p>																
7	<p>इंड एस 108-"ऑपरेंटिंग सेगमेंट्स" की अपेक्षानुसार बिजनेस/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के परिचालनों में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। अतः इंड एस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट-योग्य सेगमेंट नहीं है।</p>																
8	<p>अप्रैल-मई 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीयकृत लॉकडाउन उपायों को फिर से लागू किया। लॉकडाउन को धीरे-धीरे खोलने के साथ ही जून 2021 से दूसरी लहर कम होने लगी और वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी आई, जिससे व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधि पुनरुत्थान के लिए तैयार हुई है। ऋण के विविध स्रोतों तक पहुंच के कारण कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा है। कंपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार तैयार है। कंपनी की उच्च क्रेडिट योग्यता और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटा सकती है।</p> <p>भारत सरकार ने अपनी कोविड-19 पैकेज घोषणा के एक भाग के रूप में, कंपनी और उसकी सहायक कंपनी अर्थात आरईसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण के रूप में राज्य डिस्कांमों को लिक्विडिटी इंजेक्शन की घोषणा की है। कंपनी ने दिनांक 31.07.2021 तक इस लिक्विडिटी पैकेज के भाग के रूप में डिस्कांम को क्रमशः 65,619 करोड़ रुपए और 38,501 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत और संवितरित की है।</p> <p>उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन का मानना है कि कोविड-19 महामारी की इस दूसरी लहर का अपने व्यवसाय के परिचालन को जारी रखने, अपनी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने और वर्तमान स्थिति के रूप में जारी रखने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ-साथ, कोविड-19 की अवधि से संबंधित भावी विकास और विद्युत क्षेत्र एवं एनबीएफसी पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए सरकार और विनियामक निकायों द्वारा आगे की कार्रवाई पर निर्भर रहेगा। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों और अपने व्यवसाय पर संभावित प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।</p>																

9	दिनांक 31.12.2020 को समाप्त नौ माह के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों को दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित आंकड़ों से काट कर दिनांक 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के आंकड़े लिए गए हैं।
10	पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित/क्रमबद्ध किया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके।
<p>स्थान: नई दिल्ली तारीख: 12.08.2021</p> <p>आर.एस. ढिल्लों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन- 00278074</p>	

Gandhi Minocha & Co.
Chartered Accountants,
B-6, Shakti Nagar Extension,
New Delhi – 110052

Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants,
B-4, Gulmohar Park,
New Delhi – 110049

Independent Auditor's Review Report on Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2021 of the Company Pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

**To the Board of Directors of
Power Finance Corporation Limited**

1. We have reviewed the accompanying statement of unaudited standalone financial results of Power Finance Corporation Limited (the "Company") for the quarter ended 30.06.2021 together with the notes thereon (the "Statement"), being submitted by the Company pursuant to the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations").
2. This Statement, which is the responsibility of the Company's management and approved by the Board of Directors of the Company, in its meeting held on 12.08.2021, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" (Ind AS 34), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 as amended read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to issue a report on the statement based on our review.
3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This Standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the Statement is free of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and analytical procedures applied to financial data and thus provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and accordingly, we do not express an audit opinion.
4. Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying statement of unaudited standalone financial results prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the aforesaid Indian Accounting Standard and other recognised accounting practices and policies has not disclosed the information required to be disclosed in terms of the Listing Regulations, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatements.

Other Matters



5. The Company has continued to provide expected credit loss in respect of loan assets and undisbursed letter of comfort as required under Ind AS 109, on the basis of document provided by an independent expert appointed by the Company. Since the calculation parameters require certain technical and professional expertise, we have relied upon the expected credit loss calculation so provided by the said independent expert.



6. Refer Note 8 of the standalone financial results regarding the impact of COVID-19 pandemic on the Company. Management is of the view that there is no reason to believe that the pandemic will have any significant impact on the ability of the Company to continue as a going concern.

Our conclusion on the statement is not modified in respect of above matters.

FOR GANDHI MINOCHA & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 000458N



CA MANOJ BHARDWAJ
Partner
Membership No. 098606
UDIN: 21098606AAAADL3445

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 000112N



CA NARESH KUMAR
Partner
Membership No. 082069
UDIN: 21082069AAAABO7786

Date: 12.08.2021

Place: New Delhi

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ऊर्जानिधि 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली
दिनांक 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित वित्तीय परिणाम का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
		(अनकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनकेक्षित)	(अंकेक्षित)
	परिचालनों से राजस्व				
(i)	ब्याज आय	18,689.80	17,728.05	16,855.71	70,845.42
(ii)	लाभांश आय	-	56.08	-	88.74
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	211.84	275.63	14.45	490.36
(iv)	अन्य परिचालनगत आय	63.50	88.96	43.89	231.42
I.	परिचालनों से कुल राजस्व	18,965.14	18,148.72	16,914.05	71,655.94
II.	अन्य आय	8.79	6.42	18.19	44.57
III.	कुल आय (I+II)	18,973.93	18,155.14	16,932.24	71,700.51
	व्यय				
(i)	वित्तीय लागतें	11,313.05	11,244.16	10,868.85	44,683.52
(ii)	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)	658.56	390.18	636.23	166.20
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	10.83	6.87	9.84	24.23
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	(25.24)	(220.90)	(197.18)	(53.39)
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षति	1,233.05	1,510.68	554.67	5,942.29
(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	15.33	32.07	18.35	101.23
(vii)	कार्मिक हितलाभ व्यय	95.75	86.89	87.14	370.82
(viii)	मूल्यहास, परिशोधन एवं क्षति	6.52	7.42	5.57	25.46
(ix)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	66.43	42.64	280.81	370.22
(x)	अन्य व्यय	38.31	59.09	46.90	185.44
IV.	कुल व्यय	13,412.59	13,159.10	12,311.18	51,816.02
V.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	5,561.34	4,996.04	4,621.06	19,884.49
VI.	असाधारण मदें	-	-	-	-
VII.	संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट्स में लाभ/(हानि) का शेयर	2.23	9.46	4.85	6.24
VIII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)+VII.	5,563.57	5,005.50	4,625.91	19,890.73
	कर व्यय:				
	(1) वर्तमान कर:				
	वर्तमान वर्ष	1,288.44	1,404.04	1,037.94	5,321.55
	पूर्ववर्ती वर्ष	-	224.72	177.25	401.96
	(2) आस्थगित कर	(279.85)	(529.31)	(146.51)	(1,548.98)
IX.	कुल कर व्यय	1,008.59	1,099.45	1,068.68	4,174.53
X.	जारी परिचलनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VIII-IX)	4,554.98	3,906.05	3,557.23	15,716.20
XI.	बंद परिचलनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-
XII.	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचलनों से) (X+XI)	4,554.98	3,906.05	3,557.23	15,716.20
XIII.	अन्य व्यापक आय				
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(1.12)	(11.80)	(1.27)	(18.52)
	- इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	152.90	71.78	71.15	303.78
	- इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	(0.04)	(0.14)	-	(0.12)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में				

	पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा - परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन - इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	0.28 0.03	3.20 (1.54)	0.26 (2.82)	4.72 (6.01)
	उप कुल (क)	152.05	61.50	67.32	283.85
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा - नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	49.50	93.22	(123.60)	53.17
	- हैजिंग रिसर्व की लागत	(17.56)	(110.50)	177.01	297.94
	- इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	-	-	-	1.29
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा - नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	(12.46)	(23.46)	31.10	(13.38)
	- हैजिंग रिसर्व की लागत	4.42	27.82	(44.55)	(74.98)
	उप कुल (ख)	23.90	(12.92)	39.96	264.04
	अन्य व्यापक आय (क+ख)	175.95	48.58	107.28	547.89
XIV.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XII+XIII)	4,730.93	3,954.63	3,664.51	16,264.09
	निम्नलिखित के कारण लाभ:				
	- कंपनी के स्वामी	3,480.43	2,921.87	2,683.20	11,747.83
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	1,074.55	984.18	874.03	3,968.37
		4,554.98	3,906.05	3,557.23	15,716.20
	निम्नलिखित के कारण अन्य व्यापक आय:				
	- कंपनी के स्वामी	147.88	47.37	31.26	331.07
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	28.07	1.21	76.02	216.82
		175.95	48.58	107.28	547.89
	निम्नलिखित के कारण कुल व्यापक आय:				
	- कंपनी के स्वामी	3,628.31	2,969.24	2,714.46	12,078.90
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	1,102.62	985.39	950.05	4,185.19
		4,730.93	3,954.63	3,664.51	16,264.09
XV.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
XVI.	अन्य इक्विटी (31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	58,127.40
XVII.	प्रति इक्विटी शेयर मूल एवं तनुकृत अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)*:				
	(1) जारी परिचालनों के लिए (□ में)	13.18	11.07	10.16	44.50
	(2) बंद परिचालनों के लिए (□ में)	-	-	-	-
	(3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (□ में)	13.18	11.07	10.16	44.50

* तिमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं हैं।

समेकित वित्तीय परिणाम के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें।

1	<p>कंपनी के अनकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसके बाद दिनांक 12.08.2021 को आयोजित अपनी संगत बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया और रिकॉर्ड में लिया गया है। उक्त की सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।</p>																
2	<p>अनकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एएस')-34 'अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।</p>																
3	<p>कंपनी के दिनांक 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित वित्तीय परिणाम में एक सहायक कंपनी के तिमाही सीमित समीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम; एक सहायक कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित समेकित वित्तीय परिणाम; और पंद्रह एसोसिएट्स एवं एक संयुक्त उद्यम एंटीटी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल वित्तीय परिणाम शामिल हैं। इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एंटीटी और एसोसिएट्स के वित्तीय परिणाम को इंड एएस-110 - 'समेकित वित्तीय विवरण', इंड एएस-111 - 'संयुक्त अरेंजमेंट्स' और इंड एएस 28 - 'एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार समेकित किया गया है।</p>																
4	<p>इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और उनपर क्षति हानि भत्ता (प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए) का ब्यौरा निम्नानुसार है</p> <p style="text-align: right;">(करोड़ रुपए में)</p> <table border="1" data-bbox="226 884 1471 1048"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>30.06.2021 तक</th> <th>31.03.2021 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण</td> <td>39,364.68</td> <td>39,407.09</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता</td> <td>25,863.08</td> <td>25,207.67</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)</td> <td>65.70%</td> <td>63.97%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	30.06.2021 तक	31.03.2021 तक	क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	39,364.68	39,407.09	ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	25,863.08	25,207.67	ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	65.70%	63.97%
क्र.सं.	विवरण	30.06.2021 तक	31.03.2021 तक														
क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	39,364.68	39,407.09														
ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	25,863.08	25,207.67														
ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	65.70%	63.97%														
5	<p>विवेकपूर्ण तौर पर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।</p>																
6	<p>निदेशक मंडल ने दिनांक 12.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 22.5% की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया, अर्थात् 10/- रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.25 रुपए।</p>																
7	<p>दिनांक 30.06.2021 तक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी अर्थात् आरईसी लिमिटेड द्वारा जारी किए गए और बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्ड के लिए, निर्दिष्ट अचल संपत्तियों और/या कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार पर मोर्टगेज के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।</p>																
8	<p>इंड एएस 108-"ऑपरेंटिंग सेगमेंट्स" की अपेक्षानुसार बिजनेस/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, समूह के परिचालनों में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। अतः इंड एएस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट-योग्य सेगमेंट नहीं है।</p>																
9	<p>अप्रैल-मई 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीयकृत लॉकडाउन उपायों को फिर से लागू किया। लॉकडाउन को धीरे-धीरे खोलने के साथ ही जून 2021 से दूसरी लहर कम होने लगी और वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी आई, जिससे व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधि पुनरुत्थान के लिए तैयार हुई है। ऋण के विविध स्रोतों तक पहुंच के कारण समूह की कंपनियों ने अपनी लिक्विडिटी की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा है। समूह अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार तैयार है। समूह की उच्च क्रेडिट योग्यता और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंधों को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटा सकती है।</p> <p>भारत सरकार ने अपनी कोविड-19 पैकेज घोषणा के एक भाग के रूप में, कंपनी और उसकी सहायक कंपनी अर्थात् आरईसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण के रूप में राज्य डिस्कांमों को लिक्विडिटी इंजेक्शन की घोषणा की है। कंपनी ने दिनांक 31.07.2021 तक इस लिक्विडिटी पैकेज के भाग के रूप में डिस्कांम को क्रमशः 1,33,457 करोड़ रुपए और 79,678 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत और संवितरित की है।</p> <p>उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समूह का मानना है कि कोविड-19 महामारी की इस दूसरी लहर का अपने व्यवसाय के</p>																

	परिचालन को जारी रखने, अपनी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने और वर्तमान स्थिति के रूप में जारी रखने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। समूह पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ-साथ, कोविड-19 की अवधि से संबंधित भावी विकास और विद्युत क्षेत्र एवं एनबीएफसी पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए सरकार और विनियामक निकायों द्वारा आगे की कार्रवाई पर निर्भर रहेगा। समूह भविष्य की आर्थिक स्थितियों और अपने व्यवसाय पर संभावित प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।
10	दिनांक 31.12.2020 को समाप्त नौ माह के लिए अंकेक्षित आंकड़ों को दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित आंकड़ों से काट कर दिनांक 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के आंकड़े लिए गए हैं।
11	पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित/क्रमबद्ध किया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके।
<p>स्थान: नई दिल्ली तारीख: 12.08.2021</p> <p style="text-align: right;">आर.एस. ढिल्लों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन- 00278074</p>	

Independent Auditor's Review Report on Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2021 of the Company Pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

**To the Board of Directors of
Power Finance Corporation Limited**

1. We have reviewed the accompanying statement of unaudited consolidated financial results of Power Finance Corporation Limited (the 'Parent') and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as the 'Group'), and its share of the net profit / (loss) after tax and total comprehensive income / (loss) of its associates and joint venture for the quarter ended 30.06.2021 together with the notes thereon (the 'Statement') attached herewith, being submitted by the Parent pursuant to the requirement of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations").
2. This Statement, which is the responsibility of the Parent's management and approved by the Parent's Board of Directors in its meeting held on 12.08.2021, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ('Ind AS 34'), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended read with relevant rules issued thereunder, and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express a conclusion on the Statement based on our review.
3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", issued by the Institute of Chartered Accountants of India. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

We also performed procedures in accordance with the circular issued by the SEBI under Regulation 33 (8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, to the extent applicable.

4. The Statement includes the results of the following entities:

Parent	
1.	Power Finance Corporation Limited
Subsidiaries#:	
1.	REC Limited
2.	PFC Consulting Limited
Joint Venture Entity:	
1.	Energy Efficiency Services Limited
Associates:	
1.	Coastal Maharashtra Mega Power Limited
2.	Orissa Integrated Power Limited



3.	Coastal Karnataka Power Limited
4.	Coastal Tamil Nadu Power Limited
5.	Chhattisgarh Surguja Power Limited
6.	Deoghar Infra Limited
7.	Bihar Infrapower Limited
8.	Sakhigopal Integrated Power Company Limited
9.	Ghogarpalli Integrated Power Company Limited
10.	Tatiya Andhra Mega Power Limited
11.	Deoghar Mega Power Limited
12.	Cheyur Infra Limited
13.	Odisha Infrapower Limited
14.	Bihar Mega Power Limited
15.	Jharkhand Infrapower Limited

**consolidated financial results considered for consolidation*


5. Based on our review conducted and procedures performed as stated in paragraph 3 above and based on the consideration of the audit report of other auditors referred to in paragraph 6 below, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement, prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the aforesaid Indian Accounting Standard and other accounting principles generally accepted in India, has not disclosed the information required to be disclosed in terms of the Listing Regulations as amended, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

Other Matters

6. We did not review the unaudited financial results of one subsidiary included in the unaudited consolidated financial results, whose financial results reflect total revenues of ₹ 9,639.98 crore, total net profit after tax of ₹ 2,268.66 crore and total comprehensive income (net of tax) of ₹ 2,327.93 crore for the quarter ended 30.06.2021 respectively, as considered suitably in the unaudited consolidated financial results. These financial results have been reviewed by other auditors whose report has been furnished to us by the Management and our conclusion on the Statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, is based solely on the report of the other auditors and the procedures performed by us as stated in paragraph 3 above. The financial results of the subsidiary also includes share of net profit after tax of ₹ 1.05 crore and total comprehensive income of ₹ 1.03 crore for the quarter ended 30.06.2021 respectively in respect of one joint venture (JV) which has not been reviewed. Since said JV is common JV in group accordingly these numbers are forming part of numbers mentioned in para 7 below.
7. The unaudited consolidated financial results includes the financial results of one other subsidiary which have not been reviewed, whose financial results reflect total revenues of ₹ 22.38 crore, total net profit after tax of ₹ 12.61 crore and total comprehensive income of ₹ 12.61 crore for the quarter ended 30.06.2021 respectively, as considered in the unaudited consolidated financial results.

The unaudited consolidated financial results also includes the Group's share of net profit after tax of ₹ 2.23 crore and total comprehensive income of ₹ 2.19 crore for the quarter ended 30.06.2021 respectively, as considered in the unaudited consolidated financial results, in respect of fifteen associates and one joint venture, based on their financial results which have not been reviewed. According to the information and explanations given to us by the Management, these financial results are not material to the Group.


8. The Parent Company and its Subsidiary, REC Ltd., have continued to provide expected credit loss in respect of loan assets and undisbursed letter of comfort as required under Ind AS 109, on the basis of document provided by an independent expert appointed by the respective company. Since the calculation parameters require certain technical and professional expertise, we have relied upon the expected credit loss calculation so provided by the said independent expert(s).



9. Refer Note 9 of the unaudited consolidated financial results regarding the impact of COVID-19 pandemic on the group. Management is of the view that there is no reason to believe that the pandemic will have any significant impact on the ability of the Group to continue as a going concern.


Our conclusion on the statement is not modified in respect of above matters.

FOR GANDHI MINOCHA & CO.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 000458N



CA MANOJ BHARDWAJ
Partner
Membership No.098606
UDIN: 21098606AAAADM4332

FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 000112N



CA NARESH KUMAR
Partner
Membership No. 082069
UDIN: 21082069AAAABP2071

Date: 12.08.2021

Place: New Delhi
